

सं.ए-11013/4/2013-प्रशासन-।

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शहरी विकास मंत्रालय में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना ।

शहरी विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक विधि प्रकोष्ठ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । विधि प्रकोष्ठ के कर्मचारियों की संख्या एवं कार्य का आबंटन निम्नानुसार होगा:-

- i) प्रकोष्ठ में एक अनुभाग अधिकारी और एक सहायक होगा । प्रकोष्ठ समन्वय प्रभाग के अंतर्गत कार्य करेगा ।
- ii) प्रकोष्ठ, मंत्रालय के सभी अनुभाग/प्रभाग से मौजूदा मामलों की विस्तृत सूचना का पता लगाकर सभी विधिक मामलों का एक अद्यतन डाटा बेस का निर्माण एवं रखरखाव करेगा ।
- iii) अदालती मामलों से संबंधित सभी नई आवतियां सीआर अनुभाग द्वारा विधि प्रकोष्ठ को भेजी जाएगी जहां ऐसे मामलों का समुचित रिकार्ड रखा जाएगा और ऐसा ही संबंधित प्रभाग के पास उनकी ओ से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाएगा ।
- iv) विधि प्रकोष्ठ स्वयं को अद्यतन रखने के लिए संबंधित प्रभागों से समय-समय पर प्रत्येक मामले की प्रगति प्राप्त करेगा ।
- v) मामले, जिसकी विषय-वस्तु किसी भी विभाग से संबंधित नहीं है अथवा उसमें एक से अधिक प्रभागों संलग्न है, को विधि प्रकोष्ठ स्वयं देखेगा ।

2. इसे सचिव (यूडी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

हस्ता./-

(जितेन्द्र कुमार)

अवर सचिव, (प्रशासन)

दूरभाष: 23061426

शहरी विकास मंत्रालय

फरवरी, 2016 तक

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य निर्देश

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन/अपील किसी भी संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी से व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती है। आवेदन पीआई प्रकोष्ठ कमरा सं० 203, सी 'विंग' निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108, दूरभाष सं० 23061010 को भी दी जा सकती है।
- सभी आवेदनों के साथ 10/-रु० का आवेदन शुल्क होना चाहिए जिसका भुगतान "वेतन एवं लेखाधिकारी (सचिवालय), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से किया जाएगा और यह "नई दिल्ली" में देय होगा।
- आवेदन शुल्क सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समयावधि के भीतर इस मंत्रालय के पीआई प्रकोष्ठ कमरा संख्या 203-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से आवेदन के साथ नकद में भी दिया जा सकता है जिसके लिए समुचित रसीद मिलेगी।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) एवं 7 (5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अन्य शुल्कों का विनियमन समय-समय पर यथा संशोधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (शुल्क और लागत का नियमन) के अनुसार होगा।
- डॉक/मनी आर्डर साथ ही साथ व्यक्तिगत चैक द्वारा नकद भुगतान आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिनों की कालावधि मान्य आवेदन शुल्क की आवृत्ति की तारीख से प्रारंभ होगी।
- प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 19 (1) के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के संबद्ध में अपीलीय प्राधिकारी को दी जा सकती है।
- द्वितीय अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, ब्लॉक IV, 5वां तल, ओल्ड जेएनयू केम्पस, नई दिल्ली-110067 से की जा सकती है।
- इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के संबंध में सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की एक अद्यतन एवं संशोधित सूची संलग्न है।

फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय में केन्द्रीय

लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी

क्रम सं.	प्रभाग	डैस्क/विभाग	सीपीआईओ का पदनाम और पता (श्री/एमएस)	देखी गई विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता (श्री/एमएस)
1.	समन्वय	समन्वय	अवर सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 201 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063613 madhavi.mohan70@nic.in	1. शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित दो से अधिक प्रभागों/विंगों में सामान्य समन्वय की अपेक्षा वाले मामले (प्रभाग संबंधित से अलग) 2. वार्षिक रिपोर्ट - सूचना का संकलन और प्रबंधन, मुद्रण, सुलभता, वितरण 3. महत्वपूर्ण आयोजनों और मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति (एस) के निणयों के कार्यान्वयन पर मंत्रिमंडल हेतु मासिक रिपोर्ट 4. अन्य मंत्रालयों से प्राप्त किए गए मंत्रिमंडल नोट और बिलों पर टिप्पणियों के संबंध में समन्वय कार्य । 5. गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह - सूचना का संग्रहण और निमंत्रण पत्रों का वितरण । 6. राष्ट्रीय एकता सप्ताह, आतंकरोधी दिवस और सद्भावना दिवस का आयोजन करना । 7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/मंत्रिमंडल	उप-सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 313 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061425 dscoord-mud@nic.in

				सचिवालय आदि से प्राप्त सामान्य आदेशों/अनुदेशों का परिचालन ।	
		संसद एकक	अवर सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 201 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063613 madhavi.mohan70@nic.in	शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित संसदीय मामले	उप-सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 313 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061425 dscoord-mud@nic.in
		लोक शिकायत प्रकोष्ठ	अवर सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 201 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063613 madhavi.mohan70@nic.in	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित लोक शिकायत मामलों की समग्र मॉनीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई	उप-सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 313 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061425 dscoord-mud@nic.in
		लोक सूचना प्रकोष्ठ	अवर सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 201 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063613 madhavi.mohan70@nic.in	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित आरटीआई मामलों के लिए नोडल अनुभाग	उप-सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 313 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061425 dscoord-mud@nic.in

		कानूनी प्रकोष्ठ	अवर सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 201 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063613 madhavi.mohan70@nic.in	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित न्यायालय के मामलों की समग्र मॉनीटरिंग	उप-सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 313 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061425 dscoord-mud@nic.in
		कल्याण	अवर सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 201 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063613 madhavi.mohan70@nic.in	सामान्य कल्याण संबंधी मामले (नवाचार और प्रशासनिक मामलों को छोड़कर)	उप-सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) कमरा सं. 313 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061425 dscoord-mud@nic.in
2.	प्रशासन	प्रशासन I एवं IV	अवर सचिव (I एवं IV) प्रशासन कमरा सं. 209 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061426 sanjaykr.gupta@nic.in	1. शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित प्रशासनिक मामले 2. केन्द्रीय रजिस्ट्री	उप-सचिव (प्रशासन) कमरा सं. 129 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061979 arvind.mukherjee@nic.in
		प्रशासन II, III एवं आईटी	अवर सचिव (I, III एवं आईटी) प्रशासन कमरा सं. 207 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-230612295	1. सामान्य प्रशासन 2. भुगतान 3. सूचना प्रौद्योगिकी	उप-सचिव (प्रशासन) कमरा सं. 129 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061979 arvind.mukherjee@nic.in

			imkhan@nic.in		
3.	बजट	बजट	अनुभाग अधिकारी (बजट)* कमरा सं. 220 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23062867 billa.sawalkiya65@nic.in *(अवर सचिव का कोई पद नहीं है)	बजट मामले अर्थात अनुदान मांगें, आऊटकम बजट, संसदीय स्थायी समिति संबंधित मामले, जीरों आधारित बजट, पीएसी की मॉनीटरिंग, सी एंड एजी पैरा और बजट से अन्य सभी संबंधित मामले ।	उप-सचिव (बजट) कमरा सं. 314 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23062074 ds-bt-mud@nic.in
4.	वित्त	वित्त विभाग-I	अवर सचिव (एफडी-I) कमरा सं. 324 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23061405 Sojnnurm4@gmail.com	इन से वित्तीय प्रस्तावों के लिए सहमति प्रदान करना 1. कार्य प्रभाग (सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी) 2. पीएस प्रभाग 3. दिल्ली प्रभाग, डीडीए और एनसीआरपीबी 4. यू डी II एवं III	उप-वित्त सलाहकार कमरा सं. 342 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन सं. 011-23063303 sk.ram@nic.in
		वित्त विभाग-II	अवर सचिव (एफडी-II) कक्ष सं. 324-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011-23061476 tkl.singh@nic.in	वित्तीय प्रस्ताव के लिए इनसे सहमति स्थापित करना; 1. स्मार्ट सिटीज मिशन 2. अमृत और जेएनएनयूआरएम 3. सभी मेट्रो परियोजना 4. शहरी परिवहन 5. सीबीयूडी 6. स्वच्छ भारत मिशन	उप सचिव (वित्त) कक्ष सं. 343-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष: 011-23062280 y.vijayan@nic.in
		वित्त विभाग-III	अवर सचिव (एफडी-III) कक्ष सं. 324-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष-	वित्तीय प्रस्ताव के लिए इनसे सहमति स्थापित करना; हृदय (शहरी विकास से संबंधित)	उप वित्तीय परामर्शदाता, कक्ष सं. 342-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,

			23061405 rupak.das@nic.in		दूरभाष: 011-23063303 Sk.ram@nic.in
		वित्त विभाग-IV	अवर सचिव (एफडी-IV) कक्ष सं. 324-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061476 s.anbarasan@nic.in	वित्तीय प्रस्ताव के लिए इनसे सहमति स्थापित करना; 1. एलएसजी/यूसीडी 2. एनईआरयूडीपी 3. एलएंडडीओ 4. संपदा निदेशालय 5. पीएचई/सीपीएचईईओ	बिन्दु सं. 1 से 4 के लिए उप वित्तीय परामर्शदाता, कक्ष सं. 342-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष: 011-23063303 Sk.ram@nic.in बिन्दु सं. 5 के लिए उप सचिव (वित्त) कक्ष सं. 343-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष: 011-23062280 y.vijayan@nic.in
		डेस्क अधिकारी	डेस्क अधिकारी (एफडी-III) कक्ष सं.324-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष 011- 23061406 p.dasgupta65@nic.in	वित्तीय प्रस्ताव के लिए इनसे सहमति स्थापित करना; 1. प्रशासनिक प्रभार, संसद अनुभाग, हिन्दी अनुभाग 2. आवास III 3. विविध मामले 4. पीएसपी	बिंदू सं. 1,2 और 3 के लिए उप वित्तीय परामर्शदाता, कक्ष सं. 342-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष: 011-23063303 Sk.ram@nic.in बिंदु सं. 4 के लिए

					उप सचिव (वित्त) कक्ष सं. 343-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष: 011-23062280 y.vijayan@nic.in
5	हिन्दी	राजभाषा	उप निदेशक (राजभाषा) कमरा सं. 312-बी निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष 011- 23063034 Ramaddoldmi61@gmail.com	1. शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित हिन्दी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद की जांच 2. अनुभागों व अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी के प्रयोग के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा 3. राजभाषा नीति कार्यान्वयन की निगरानी	निदेशक (राजभाषा) कमरा सं. 304-बी निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष 011-23063034 Rk.dwivedi@nic.in
6	एनयूआरएम	एनयूआरएम	अवर सचिव-एनयूआरएम-(पद रिक्त)/अनुभाग अधिकारी (एनयूआरएम), कमरा सं. 313- बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011, दूरभाष:011- 23062472 Vs.chauhan@nic.in	जेएनएनयूआरएम से संबंधित सभी मामले	उप सचिव (एनयूआरएम) कमरा सं. 237-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष 011-23062670 dsnurm-mud@gov.in
7	जन स्वास्थ्य	पीएचई	अवर सचिव (पीएचई) कमरा सं. 217-जी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062472	1. पीएचई प्रशिक्षण (पीजी पाठ्यक्रम, आरसी पाठ्यक्रम, अल्पावधि पाठ्यक्रम) 2. 10 एयरफील्ड कस्बों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम	निदेशक (पीएचई) कमरा सं. 236-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011-23062425

			Sumit.gakkhar@nic.in	3. त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) 4. बाह्य रूप से जोड़ी गई परियोजनाएं 5. ब्रीम्सटोवॉड परियोजना 6. चेन्न्ई में विलवणीकरण संयंत्र 7. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 8. सेवा स्तरीय मानदंड 9. शुस्थिर पर्यावास व मीठी नदी परियोजना पर राष्ट्रीय मिशन 10. सीपीएचईईओ में अधिकारी की भर्ती तथा भर्ती नियम बनाने से संबंधित मामले	singsv@gmail.com
8	मुद्रण, लेखन-सामग्री और प्रकाशन	पीएसपी-।	अवर सचिव (पीएसपी-।) कमरा सं.217-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष:23061828 Kailash.c14@nic.in	(क) 1. स्कीमों और प्रस्तावों की नीति, निष्पादन और मूल्यांकन 2. समितियों, अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर फॉली अप कार्रवाई 3. संपदा निदेशालय से संबंधित स्थापना मामले 4. समूह-क अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण 5. समूह 'क' अधिकारियों के अनुशासनात्मक मामले 6. संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी मुद्रणालयों के	उप सचिव (पीएसपी) कमरा सं. 306-बी निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23062474 Srukmani2003@nic.in

				संबंध में वेतनमान इत्यादि का संशोधन 7. उपरोक्त किसी मामले पर न्यायालयी मामले 8. बजट 9. आईएफडी/शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन के लिए अपेक्षित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे 10. भारत सरकार मुद्रणालय औषधालयों के संबंध में वार्षिक चिकित्सा मांगपत्र । 11. प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों का प्रत्यायोजन। 12. वार्षिक रिपोर्ट आदि का संकलन । 13. वार्षिक कार्रवाई योजना । 14. लेखापरीक्षा पैराओं पर अनुवर्ती कार्रवाई । 15. संसदीय समितियों की संस्तुतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई । 16. जेसीएम और यूनियनों/एसोसिएशनों के संबंध में सभी मामले। 17. संसद प्रश्न । 18. भारत सरकार मुद्रणालयों के कैंटीन संबंधी मामले । 19. संसद/अति महत्वपूर्ण संदर्भ; लोक शिकायत; शिकायतें आदि ।	
--	--	--	--	--	--

				20. मुद्रणालय कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान । 21. पीएसपी प्रभाग का सामान्य समन्वय (ख) मुद्रण कार्य 1. मुद्रणालय कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान । पीएसपी प्रभाग का सामान्य समन्वय कार्य के साथ संसदीय समितियों, लेखापरीक्षा पैरा और भारत सरकार लेखन सामग्री, प्रकाशन विभाग और मुद्रण विभाग के काडर संबंधी मामले ।	
		पीएसपी-II	अवर सचिव (पीएसपी-II) कमरा नं. 305 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062565 rajesh.kr70@nic.in	(क) लेखन सामग्री कार्य 1. स्कीमों और प्रस्तावों का नीतिगत निष्पादन और मूल्यांकन 2. समितियों/अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई 3. भारत सरकार लेखन सामग्री और फील्ड यूनिटों के स्थापना संबंधी मामले । 4. वर्ग 'क' अधिकारियों के अनुशासनिक मामले । 5. वर्ग 'क' अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति प्रति नियुक्ति/प्रशिक्षण । 6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी मामले से	उप-सचिव (पीएसपी) कमरा नं. 306 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23062474 srukmani2003@nic.in

				संबंधित न्यायालयी मामले । 7. आईएफडी/शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन के लिए अपेक्षित चिकित्सा दावे । 8. बजट । 9. प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों का प्रत्यायोजन। 10. मंत्रालय की संयुक्त परामर्श समिति और यूनियनों/एसोसिएशनों से संबंधित सभी मामले । 11. वार्षिक रिपोर्ट आदि का संकलन । 12. वार्षिक कार्रवाई योजना । 13. लेखापरीक्षा पैराओं पर अनुवर्ती कार्रवाई । 14. संसदीय समितियों की संस्तुतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई । 15. संसद प्रश्न/संसदीय मामले 16. संसद/अति महत्वपूर्ण संदर्भ; लोक शिकायत; (ख) प्रकाशन कार्य 1. _स्कीमों और प्रस्तावों का नीतिगत निष्पादन और मूल्यांकन । 2. समितियों/अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई । 3. प्रकाशन विभाग के स्थापना संबंधी मामले । 4. वर्ग 'क' अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति प्रति नियुक्ति/प्रशिक्षण ।	
--	--	--	--	--	--

				5. वर्ग 'क' अधिकारियों के अनुशासनिक मामले । 6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित न्यायालयी मामले । 7.आईएफडी/शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन के लिए अपेक्षित चिकित्सा दावे । 8. बजट । 9. प्रकाशन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, भर्ती नियम, भर्ती आदि । 10. प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों का प्रत्यायोजन। 11. वार्षिक कार्रवाई योजना । 12. लेखापरीक्षा पैराओं पर अनुवर्ती कार्रवाई । 13. संसदीय समितियों की संस्तुतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई । वार्षिक रिपोर्ट का संकलन । 14. युनियन/एसोसिएशन और जसीएम मामलों से संबंधित मामले । 15. संसद प्रश्न । 16. प्रकाशन विभाग से संबंधित अनापूर्ति अथवा अनुपलब्धता/देरी के बारे में प्रकाशनों	
--	--	--	--	--	--

				की सुरक्षित अभिरक्षा और शिकायतों की जांच । 17. एम पी / वीआईपी संदर्भ, जन शिकायतें और शिकायतें ।	
9.	सतर्कता	एवी-।	अवर सचिव (एवी-।) कक्ष सं. 337-ग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061682 ई-मेल : naresh.bhardwaj@nic.in	1. के.लो.नि.वि. के ग्रेड 'ए' अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले और शिकायतें (दिल्ली लोनिवि और उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर) 2. एनबीसीसी के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले और शिकायतें । 3. मुद्रण निदेशालय और प्रकाशन विभाग के समूह 'क' के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले और शिकायतें। 4. उपर्युक्त से संबंधित आरटीआई, न्यायालय के मुकदमें और संसदीय प्रश्न ।	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, कक्ष सं. 439 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061749 ई-मेल : garimabali@yahoo.co.in
		एवी-।।	अवर सचिव (एवी-।।) कक्ष सं. 337-ग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23062743 ई-मेल : kalyankumar.acharya@nic.in	1. राष्ट्रपति को प्रस्तुत केलोनिवि इत्यादि के सतर्कता मामलों में अपील और समीक्षा मामले । 2. विशिष्ट सचिवालय, भूमि और विकास कार्यालय, सम्पदा निदेशालय और अन्य सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य कर रहे सीएसएस/सीएससीएस/सीएसएसएस संवर्ग से संबंधित अधिकारियों से संबंधित सतर्कता मामले (मुद्रण निदेशालय और प्रकाशन	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, कक्ष सं. 439 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061749 ई-मेल : garimabali@yahoo.co.in

				विभाग को छोड़कर) 3. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त डीडीए के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले और शिकायतें । 4. सभी सतर्कता क्लीएरेंस मामले । 5. समन्वय कार्य और नीतिगत मुद्दे । 6. सभी मासिक / तिमाही / छमाही / वार्षिक रिपोर्टें और विवरण । 7. उपर्युक्त से संबंधित आरटीआई, न्यायालय के मुकदमें और संसदीय प्रश्न ।	
		एवी-III	अवर सचिव (एवी-III) कक्ष सं. 337-ग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061682 ई-मेल : rajesh.kr70@nic.in	1. दिल्ली लोनिवि और उत्तरी क्षेत्र से संबंधित केलोनिवि ग्रेड 'ए' के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले और शिकायतें। 2. उपर्युक्त से संबंधित आरटीआई, न्यायालय के मुकदमें और संसदीय प्रश्न ।	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, कक्ष सं. 439 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061749 ई-मेल : garimabali@yahoo.co.in
10.	निर्माण-कार्य	डब्ल्यू-।	अवर सचिव (डब्ल्यू-।) कक्ष सं. 317, सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061151 ई-मेल : singh.maha@nic.in	1. सभी जीपीओए भवनों का संवर्धन/परिवर्तन 2. मंत्रियों और सांसदों के कब्जे में श्रेणी v और जीपीआरए से अधिक के भवनों समेत सभी श्रेणी - v और जीपीआरए से अधिक के भवनों में संवर्धन / परिवर्तन	निदेशक (निर्माण कार्य) कक्ष सं. 239 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061559 ई-मेल :

				3. राष्ट्रपति सम्पदा और प्रधानमंत्री के आवास से संबंधित सभी निर्माण कार्य 4. राज्यसभा / लोकसभा सदन समिति 5. उद्यान कार्य 6. केन्द्रीय वातानुकूलन 7. कार्यालय के भवनों में अग्निशमन की व्यवस्थाएं 8. कार्यालय भवनों का रख-रखाव 9. छानने के बिना जलापूर्ति 10. गणतंत्र दिवस समारोह 11. केन्द्रीय विस्टा का रख-रखाव और मरम्मत 12. एलबीजैड क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण 13. श्रेणी IV और इससे नीचे की श्रेणी के जीपीआरए भवन का संवर्धन / परिवर्तन और रख-रखाव	majumdar.tk@nic.in
		डब्ल्यू-॥	अवर सचिव (डब्ल्यू-॥) कक्ष सं. 335, सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061336 ई-मेल : anil.kumar75@nic.in	1. जीपीओए और जीपीआरए के अंतर्गत सभी परियोजनाएं । 2. केलोनिवि परियोजनाओं के लिए प्राथमिकीकरण समिति / ईएफसी / एसएफसी से संबंधित सभी निर्माण कार्य । 3. केलोनिवि द्वारा भूमि की खरीद/ अधिग्रहण ।	निदेशक (निर्माण कार्य) कक्ष सं. 239 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061559 ई-मेल : majumdar.tk@nic.in

				4. पंचवर्षीय योजना और केलोनिवि की वार्षिक योजना । 5. केलोनिवि का बजट । 6. अन्य विभागों के निर्माण कार्यो समेत केलोनिवि की तिमाही / मासिक प्रगति रिपोर्ट । 7. अन्य विभागों के निर्माण कार्यो समेत केलोनिवि की विभिन्न परियोजनाओं की मध्यवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट । 8. सीएजी के लेखा-परीक्षा के पैराओं और रिपोर्टों का प्रारूप । 9. केलोनिवि के मध्यस्थता के मामले । 10. प्रतिमाओं और स्मारकों का निर्माण । 11. समाधि परिसरों पर समारोह ।	
		डब्ल्यू-III	अवर सचिव (डब्ल्यू-III) कक्ष सं. 301, सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23063079 ई-मेल : rs.meena@nic.in	1. केलोनिवि समेत लोक निर्माण संगठन के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन के लिए जीएफआर, 2005 के नियम 126 के अंतर्गत निर्माण । 2. अन्य मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त ईएफसी/एसएफसी ज्ञापन । 3. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन । 4. भवनों को गिराना, हानियों को बड़े खाते	निदेशक (निर्माण कार्य) कक्ष सं. 239 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061559 ई-मेल : majumdar.tk@nic.in

				में डालना और संबंधित मामले । 5. विभागीय प्रभार । 6. केलोनिवि के मैनुअल / कोड 7. भारतीय सड़क कांग्रेस, भारतीय भवन कांग्रेस और अन्य व्यावसायिक निकायों से संबंधित निर्माण कार्य । 8. संविदाएं देना और संविदाकर्ताओं को काली सूची में डालना । 9. डब्ल्यू-3 डेस्क से संबंधित जन शिकायतें 10 निर्माण-कार्य प्रभाग में कम्प्यूटरीकरण । 11. अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मामलों का विवरण । 12. निर्माण कार्य प्रभाग में सभी समन्वय और विविध मामले । 13. यूटी बजट, यूटी स्थापना । 14. 50 / 55 वर्ष की आयु पर समूह क और ख इंजीनियरिंग, वास्तुकला और उद्यान अधिकारियों की समीक्षा के सभी मामले । 15. समूह क और ख इंजीनियरिंग, उद्यान और वास्तुकला अधिकारियों की संयुक्त राष्ट्र और विदेशी नियुक्तियां ।	
--	--	--	--	---	--

		ई डब्ल्यू-। अवर सचिव (ई डब्ल्यू-।) कक्ष सं. 365, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061151 ई-मेल : b.sahoo66@nic.in	1. प्रशासन और स्थापना के मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन 2. इंजीनियरिंग और उद्यान पक्ष में राजपत्रित संवर्गों की पदोन्नति से संबंधित स्थापना संबंधी मामले(अनु. जाति और अनु. जन इत्यादि के आरक्षण समेत) 3. वास्तुकला पक्ष से संबंधित स्थापना और प्रशासन के मामले (राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग दोनों) 4. सभी राजपत्रित इंजीनियरी, बागवानी संवर्ग और वास्तुशिल्पीय साइड में सभी संवर्गों के लिए भर्ती नियम । 5. सीपीडब्ल्यूडी में इंजीनियरी, बागवानी और वास्तुशिल्पीय सेवा से संबंधित संवर्ग और नीति मामले । 6. इंजीनियरी बागवानी, और वास्तुशिल्पीय सेवा में समूह 'क' अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई । 7. राजपत्रित इंजीनियरी, बागवानी और वास्तुशिल्पीय अधिकारियों के संगठन मामले । 8. केन्द्रीय वास्तुशिल्पीय सेवा का निर्माण । 9. सीपीडब्ल्यूडी का पुनर्गठन । 10. भारत में समूह क और ख इंजीनियरी वास्तुशिल्पीय, बागवानी अधिकारियों के	निदेशक (निर्माण कार्य) कक्ष सं. 239 सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष 011-23061559 ई-मेल : majumdar.tk@nic.in
--	--	--	--	---

			प्रतिनियुक्ति मामले । 11. डेस्क में देखने वाले विषयों से संबंधित जेसीएम और संसदीय मामले । 12. शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली कोलकाता और मुंबई में तैनात तीन मध्यस्थों के सभी स्थापना संबंधी मामले । 13. सीईएस, सीई और एमईएस, सीएस और बागवानी विंग के समूह क और ख अधिकारी के स्थापना मामलों से संबंधित न्यायालयीय मामले । 14. सीपीडब्ल्यूडी में समूह 'ख' राजपत्रित इंजीनियरी और बागवानी संवर्ग से संबंधित सभी स्थापना और नीति मामले ।	
		ईडब्ल्यू-II डेस्क अधिकारी (ईडब्ल्यू-II), कमरा सं. 301, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23063715 Ravindre.kaur@nic.in	1.श्रेणी-IV और कार्य प्रभारित सहित सीपीडब्ल्यूडी के समूह 'ग' कर्मचारी के सभी स्थापना मामले । 2. गैर-राजपत्रित अधिकारी एवं गैर-तकनीकी अधिकारी और कार्य प्रभारित कर्मचारी संघ के संगठन की मांग । 3. समूह 'ग' समूह 'घ' और कार्य प्रभारित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन मामले । 4. समूह 'ग' समूह 'घ' और कार्य प्रभारित कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमेबाजी मामले ।	निदेशक(वर्क्स) कमरा सं. 239 सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061559 mjumdar.tk@nic.in

				5. एनजीओ और डब्ल्यूसी कर्मचारी की शिकायतें । 6. भर्ती नियम- गैर राजपत्रित, समूह 'घ' और कार्य प्रभारित पद । 7. संघ राज्य क्षेत्र के मामले । 8. गैर राजपत्रित अधिकारी, कार्य प्रभारित स्थापना संबंधी अपील, स्मारक, अभ्यावेदन, पुनरीक्षा संबंधी मामले । 9. श्रम कानून । 10. देखे जाने वाले विषय पर विभागीय परिषद । 11. देखे जाने वाले विषयों पर सभी जेसीएम संसदीय मामले । 12. सीपीडब्ल्यूडी में यूनितों और पदों का सृजन और निरंतरता । 13. समूह ग और घ मंत्रालयी कार्य प्रभारित कर्मचारी के संगठन/संघों के मान्यता देना । 14. संविदा श्रम संबंधित कानून । 15. समूह 'ग' और 'घ' एवं यू.टी. कर्मचारियों से संबंधित क्षति को बट्टे खाते में डालना । 16. नेपाल, एनईएफए, सिक्किम आदि में सीपीडब्ल्यूडी स्टॉफ को भर्ता देना ।	
		पी.एस. डेस्क	अवर सचिव (पीएस) कमरा सं. 203, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011	एनबीसीसी लिमिटेड से संबंधित सभी मामले ।	निदेशक(वर्क्स) कमरा सं. 239 सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-

			दूरभाष: 011- 23061462 Vs.chikkala@nic.in		110011 दूरभाष: 011- 23061559 mjumdar.tk@nic.in
11	द्रुत परिवहन प्रणाली-।	डेस्क-। (एमआरटीएस-।)	अवर सचिव -डेस्क-। (एमआरटीएस-।) कमरा सं. 322, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062594 deen.dayal69@nic.in	i) दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो रेल से संबंधित (सभी चरण) सभी मामले (रेपिड मेट्रो रेल गुरुगांव लिमिटेड सहित । लेकिन शहरी विकास मंत्रालय के यूटी विंग में अन्य यूएस/एसओ को विशेष रूप से आवंटित मामले छोड़कर इसमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल है:- (क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और कार्यान्वयन करना । (ख) एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) और अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की सेवा । (ग) स्वीकृति शर्त, मल्टी मॉडल एकीकरण सहित, पार्किंग नीति आदि की देखरेख करना । (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ङ) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (च) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित	निदेशक (एमआरटीएस-।) कमरा सं. 308 सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061868 Dirmrts1-moud@nic.in

				बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (छ) एलाइनमेंट के लिए राजपत्रित अधिसूचना । (ज) सीमा शुल्क से संबंधित मामले । (झ) वीआईपी संदर्भ । (त्र) आरटीआई मामले । (ट) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ठ) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (ड) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले । (ढ) फीडर बस सेवा संबंधित मामले । (ण) किराया निर्धारण समिति आदि । (त) अदालती मामले । ii) दिल्ली और एनसीआर के संबंध में संक्षिप्त आदि के लिए समन्वय कार्य iii) एनसीआर, एनसीआरटीसी के लिए ब्रीफ आदि से संबंधित मामले । iv) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य	
		डेस्क-॥ (एमआरटीएस- I)	अवर सचिव -डेस्क-॥ (एमआरटीएस-I) कमरा सं. 322, सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061294 Ambujbajpai1967@gmail.com	i) मुंबई, हैदराबाद महा नगर क्षेत्रों में मेट्रो रेल परियोजनाएं चाहे सरकारी वित्तपोषण मॉडल अथवा पीपीपी पर हों से संबंधित सभी मामलों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं	निदेशक (एमआरटीएस-I) कमरा सं. 308 सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061868 Dirmrts1-moud@nic.in

				(क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और कार्यान्वयन करना । (ख) एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) और अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की सेवा । (ग) स्वीकृति शर्त, मल्टी मॉडल एकीकरण सहित, पार्किंग नीति आदि की देखरेख करना । (घ) पीपीपी पर शुरू की गई इन मेट्रो परियोजनाओं के लिए छूट करार (ङ) इन मेट्रो परियोजनाओं के लिए अवलोकन समिति से संबंधित मामले, यदि पीपीपी पर शुरू की गई हों । (च) पीपीपी पर शुरू की गई इन मेट्रो परियोजनाओं के लिए अधिकारप्राप्त संस्था अधिकारप्राप्त समिति और पीपीपीएसी से संबंधित सभी मामले । (छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ज) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (झ) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी	
--	--	--	--	---	--

				मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (ज) एलाइनमेंट के लिए राजपत्रित अधिसूचना । (ट) सीमा शुल्क से संबंधित मामले । (ठ) वीआईपी संदर्भ । (ड) आरटीआई मामले । (ढ) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ण) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (त) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले । (थ) फीडर बस सेवा संबंधित मामले । (द) किराया निर्धारण समिति आदि । (ध) अदालती मामले । ii) मेट्रो रेल के लिए सभी विधान संबंधी मामले । iii) मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, सीएमआरसी का नामांकन । iv) एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मामले । v) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य ।	
		डेस्क-III (एमआरटीएस-समन्वय)	अवर सचिव -डेस्क-III (एमआरटीएस-समन्वय) कमरा सं. 311, बी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011	i) बंगलौर महा नगर क्षेत्र से मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले । (क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर	निदेशक (एमआरटीएस-I) कमरा सं. 308 सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

			दूरभाष: 011- 23062935 rachna.kumar@nic.in	करना और कार्यान्वयन करना । (ख) एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) और अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की सेवा । (ग) स्वीकृति शर्त, मल्टी मॉडल एकीकरण सहित, पार्किंग नीति आदि की देखरेख करना । (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ङ) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (च) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (छ) एलाइनमेंट के लिए राजपत्रित अधिसूचना । (ज) सीमा शुल्क से संबंधित मामले । (झ) वीआईपी संदर्भ । (ञ) आरटीआई मामले । (ट) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ठ) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (ड) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले ।	दूरभाष: 011- 23061868 Dirmrts1-moud@nic.in
--	--	--	--	--	--

				(ढ) फीडर बस सेवा संबंधित मामले । (ण) किराया निर्धारण समिति आदि । (त) अदालती मामले । ii) भारत में सभी मेट्रो रेल प्रणाली के समान सभी नीतिगत और तकनीकी मामले, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: क) राष्ट्रीय मेट्रो रेल नीति । ख) मानकीकरण और स्व-देशीकरण के मुद्दे । ग) सुरक्षा प्रमाणन और दुर्घटना से संबंधित मुद्दे। घ) सुरक्षा से संबंधित मुद्दे । iii) मेट्रो प्रशासन के साथ परामर्शी बैठक । iv) मोनो रेल, ट्रामवे, मेट्रो केब, मेगलेव, पीआरटी आदि जैसी मार्गदर्शित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए नई प्रौद्योगिकियां । v) भारत में मेट्रो रेल प्रणाली के लिए राष्ट्रीय शहरी रेल परिवहन प्राधिकरण और विनियामक । vi) मेट्रो के लिए आर एंड डी केन्द्र । vii) यूटी विंग के लिए सीसीआई आदि सहित सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए	
--	--	--	--	--	--

				समन्वय । viii) आरटीआई मामले । ix) वीआईपी संदर्भ । x) मेट्रो रेल परियोजनाओं के द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय वित्तपोषण । xi) यूटी विंग के समग्र समन्वय कार्य । xii) समय-समय पर सौंपे जा सकने वाले अन्य कार्य ।	
12	द्रुत जन परिवहन प्रणाली-II	एमआरटीएस-II	अवर सचिव (एमआरटीएस-II) कमरा सं. 311, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 टेलीफैक्स: 011- 23062285 mamta.batra@nic.in	i) जयपुर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित सभी मामलों में । इन परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और कार्यान्वयन करना । ख) एमआरटीएस पर अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) की सेवा ।	निदेशक (एमआरटीएस-II) कमरा सं. 211 सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061916 vs.pandey12@nic.in
				(ग) स्वीकृति शर्त, मल्टी मॉडल एकीकरण सहित, पार्किंग नीति आदि की देखरेख करना। (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ङ) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति	

			(सीसीआई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (च) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (छ) एलाइनमेंट के लिए राजपत्र अधिसूचना । (ज) सीमा शुल्क से संबंधित मामले। (झ) आरटीआई मामले, वीआईपी संदर्भ । (ण) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ट) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (ठ) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले । (ड) किराया निर्धारण समिति आदि । (ण) अदालती मामले । ii) शहरी परिवहन संबंधी लेखा परीक्षा और बजट मामले । iii) वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजनाएं iv) जयपुर, विजयवाडा और विशाखपटनम v) शहरी परिवहन (यूटी) विंग के अन्य अवर सचिवों को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट विषय को छोड़कर केवल शहरी परिवहन विंग के संबंध में मिश्रित मामले । vi) शहरी परिवहन के अन्य अवर सचिवों को विषय को छोड़कर जेआईसीए और बाह्य ऋण	
--	--	--	--	--

				संबंधी मामले । vii) समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य कार्य ।	
13.	शहरी परिवहन-I	शहरी परिवहन-I	अवर सचिव (शहरी परिवहन-I) कमरा नं. 407 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23062264 Pankaj.kumar75@nic.in	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सभी शहरी परिवहन परियोजनाएं और प्रस्ताव - मूल्यांकन । स्वीकृति की शर्त सहित परियोजनाओं की पुनरीक्षा और निगरानी । बस वित्तपोषण स्कीम के लिए केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समितियों (सीएमएमसी)/शीर्ष समिति से संबंधित मामले । शहरी परिवहन (मेट्रो रेल परियोजनाओं को छोड़कर) शहरी बस विनिर्देशों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी संबंधी प्रस्ताव । डब्ल्यू बी-यूएनडीपी-जीईएफ सहायता प्राप्त सुस्थिर शहरी परिवहन प्रणाली (एसयूटीपी), कार्यदल और शहरी परिवहन से संबंधित अन्य देशों के बीच समझौता ज्ञापन, राष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन हेल्पलाइन, बेहतर परिवहन प्रणाली (आईटीएस) जैसे तकनीकी इनपुट वाली विशेष पहल । भारत से देशभर से भी राष्ट्रीय सांझा परिवहन का कार्ड का कार्यान्वयन । समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य कार्य ।	निदेशक (शहरी परिवहन-I) कमरा नं. 341 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23063304 rk.singh66@nic.in
			डेस्क अधिकारी (यू टी-IV) कमरा नं. 322 सी विंग,	i) शहरी परिवहन और शहरी परिवहन आयोजना स्कीम में क्षमता निर्माण से संबंधित मामले	निदेशक (शहरी परिवहन-I) कमरा नं. 341 सी,

			निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23061336 praveen.kumari@nic.in	I ii) यातायात और परिवहन व्यवस्था अध्ययन और व्यापक परिवहन योजनाएं iii) शहरी परिवहन में श्रेष्ठता केन्द्र (सीओई) iv) राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की सेवाएं लेना v) शहरी परिवहन में लिए अनुसंधान सलाहकार समिति संबंधी मामले vi) शहरी परिवहन और इसके कार्यान्वयन में मानक सेवा स्तरीय बेचमार्क vii) वार्षिक शहरी परिवहन भारत (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी viii) शहरी परिवहन संस्थान (आईयूटी) से संबंधित सभी मामले ix) राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन (एनएमएसएच) x) गैर-मोटरिकृत परिवहन हेतु स्कीम xi) एकीकृत यातायात और परिवहन व्यवस्था अवसंरचना इंजीनियरिंग केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी) एनसीआर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अन्य शहरी परिवहन मामले xii) "दिल्ली की भीड़-भाड़ कम कैसे करें" पर रिपोर्ट xiii) वरिष्ठ अधिकारियों की अंतरराष्ट्रीय	निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23063304 rk.singh66@nic.in
--	--	--	--	---	--

				दौरे/अध्ययन दौरे xiv) संसद प्रश्न/आरटीआई/वीआईपी संदर्भ/पीजी इत्यादि ।	
14.	शहरी परिवहन-II	एमआरटीएस-III	अवर सचिव (एमआरटीएस-III) कमरा नं. 202 बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23061358 l.kapani@nic.in	नागपुर, चैन्नई और कोलकाता में मेट्रो रेल से संबंधित सभी विषय जिसमें इन परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कार्य मर्दे शामिल हैं :- (क) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और कार्यान्वयन करना । (ख) एमआरटीएस पर ईसी की सेवाएं प्रदान करना। (ग) स्वीकृति शर्त, मल्टी मॉडल एकीकरण सहित, पार्किंग नीति आदि की देखरेख करना। (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ङ) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (च) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (छ) एलाइनमेंट के लिए राजपत्र अधिसूचना । (ज) सीमा शुल्क से संबंधित मामले।	निदेशक (यूटी-II) कमरा नं. 310 बी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं.011-23062782 janardan.p@gov.in

				(झ) आरटीआई मामले, वीआईपी संदर्भ । (ण) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ट) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (ठ) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले । (ड) किराया निर्धारण समिति आदि । ण) न्यायालयी मामले । ii) पीपीपी के अंतर्गत मेट्रो से संबंधित सभी कार्य (विशेषतः किसी अन्य अवर सचिव को सौंपा नहीं गया है)जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: क) पीपीपी आधार पर शुरू किए गए सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए रियायत करार । ख) पूर्ण निजी पहल के रूप में अथवा पूर्ण राज्य सरकार वित्तपोषण के साथ पीपीपी आधार पर शुरू की गई मेट्रो परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षण समिति से संबंधित मामले । ग) पीपीपी पर मेट्रो परियोजनाओं के लिए अधिकारप्राप्त संस्था, अधिकारप्राप्त समिति और पीपीपीएसी से संबंधित सभी मामले । iii) उपरोक्त दिए गए कार्य से संबंधित कोई अन्य कार्य । iv) उपरोक्त (i) में उल्लेखित शहरों की परिवहनोन्मुखी विकास (टीओडी)	
--	--	--	--	--	--

				परियोजनाएं । v) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य ।	
		एमआरटीएस-IV)	अवर सचिव (एमआरटीएस-IV) कमरा सं. 311, बी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062964 ramesh.meena@nic.in	i) इन परियोजनाओं के संबंध में कार्य के निम्नलिखित मद सहित कोच्चि , लखनऊ और पुणे में मेट्रो रेल से संबंधित सभी मामले:- (क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और कार्यान्वयन करना । (ख) एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की सेवा । (ग) मल्टी मॉडल एकीकरण पार्किंग नीति आदि सहित स्वीकृति शर्त की देखरेख करना । (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ङ) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (च) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (छ) एलाइनमेंट इत्यादि के लिए राजपत्रित अधिसूचना । (ज) सीमा शुल्क इत्यादि से संबंधित	निदेशक (यूटी-II) कमरा सं. 310 बी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062782 Janardan.p@gov.in

				मामले । (झ) आरटीआई मामले/वीआईपी संदर्भ । (ञ) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ट) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (ठ) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले । (ड) फीडर बस सेवा संबंधित मामले । (ढ) किराया निर्धारण समिति आदि । (ण) अदालती मामले । ii) उपरोक्त (i) में उल्लेखित शहरों की परिवहन उन्मुखी विकास (टीओडी) परियोजना । iii) उपरोक्त दिए गए कार्य से संबंधित कोई अन्य मामला । iv) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।	
		यूटी-॥	अवर सचिव (यूटी-॥) कमरा सं. 311, बी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062479 Rangamma.svr@nic.in	i) नए मेट्रो रेल, मोनोरेल अथवा एलआरटी परियोजना से संबंधित कार्य के सभी मद जिसमें उपरोक्त परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं, जब तक कि ओएसडी (यूटी) विंग में किसी अन्य अवर सचिव और अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को विशेष रूप से आवंटित नहीं कर दिया जाता:-	निदेशक (यूटी-॥) कमरा सं. 310 बी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062782 Janardan.p@gov.in

				(क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और कार्यान्वयन करना । (ख) एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की सेवा । (ग) मल्टी मॉडल एकीकरण पार्किंग नीति आदि सहित स्वीकृति शर्त की देखरेख करना । (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेशों की स्वीकृति के मुद्दे । (ङ) अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) आदि को रिपोर्ट करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय निगरानी । (च) स्थायी समिति/परामर्शी समिति सहित बजटीय मामले, दीर्घकालीन ऋण संबंधी मामले, निधि जारी करना, संसदीय मामले । (छ) एलाइनमेंट के लिए राजपत्रित अधिसूचना । (ज) सीमा शुल्क इत्यादि से संबंधित मामले । (झ) आरटीआई मामले/वीआईपी संदर्भ । (ञ) प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले । (ट) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले । (ठ) उच्च अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मामले । (ड) फीडर बस सेवा संबंधित मामले । (ढ) किराया निर्धारण समिति आदि ।	
--	--	--	--	---	--

				(ग) अदालती मामले । ii) उपरोक्त दिए गए कार्य से संबंधित कोई अन्य कार्य । iii) शहरी जन परिवहन कंपनी (यूएमटीसी) । iv) रा.रा.क्षे. के लिए पारस्परिक साझा परिवहन करार । v) मोटर वाहन अधिनियम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एसआरटीएसी के साथ समन्वयन । vi) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 का कार्यान्वयन व समीक्षा । vii) एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) तथा समर्पित शहरी परिवहन कोष की स्थापना सहित शहरी परिवहन में सुधार । viii) संसदीय स्थायी समिति और परामर्शी समिति के लिए सूचना सहित शहरी परिवहन के सभी मामले । ix) संयुक्त सचिव (यूटी) को नहीं दिए गए शहरी परिवहन पर विभिन्न समितियों की संवा । x) भारत में शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से संबंधित कार्य-चयन ।	
--	--	--	--	--	--

				xi) अहमदाबाद का परिवहनमुखी विकास (टीओडी) परियोजना । xii) समय-समय पर दिए गए अन्य कार्य ।	
15.	दिल्ली प्रभाग	दिल्ली प्रभाग-I	अवर सचिव (डीडी-I) कमरा सं. 312, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23061681 sunilkumar0970@nic.in	दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी) तथा दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी)। दि.वि.प्रा. द्वारा प्रस्तुत भूमि उपयोग प्रस्तावों में बदलाव । लुट्यंस बंगला क्षेत्र (एलबीजेड): एलबीजेड दिशानिर्देश, एलबीजेड सीमा तथा एलबीजेड में विकास नियंत्रण मानकों के संबंध में । दिल्ली नगर निगम को डीडीए कॉलोनियों के अंतरण के संबंध में नीति । ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा का विस्तार । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (विशिष्ट प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 और संबंधित अधिनियम ।	निदेशक (डीडी) कमरा सं. 211 सी-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: 011- 23062387 mrinal.kant@gov.in
		दिल्ली प्रभाग -II	अवर सचिव (डीडी-II) कक्ष सं. 311-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23063401 sbprasad.edu@nic.in	असमनुरूप क्षेत्रों से समनुरूप क्षेत्रों (डीडीए की औद्योगिक शाखा के भीतर डील किए जा रहे) में वैकल्पिक आबंटन के मामलों समेत डीडीए द्वारा औद्योगिक भूखंडों के आबंटन से संबंधित नीति और मामले । उद्योगों का स्थानान्तरण-एम सी मेहता के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय का आदेश डीडीए (विकसित नजूल भूमि का निपटान)	निदेशक (दिल्ली प्रभाग) कक्ष सं. 211-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062387 Mrinal.kant@nic.in

			नियम, 1981 का संचालन, अन्य डेस्कों को विशिष्ट रूप से नियत किए गए कार्यों को छोड़कर उनकी विवेचना, प्रवर्तन और संशोधन समेत अन्य डेस्कों को विशिष्ट रूप से नियत किए गए कार्यों को छोड़कर उनके संशोधन समेत दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 डीडीए के स्थापना संबंधी मामले डीडीए द्वारा वाणिज्यिक भूमियों के आबंटन से संबंधित सभी मामले पट्टाविलेख से पूर्ण-स्वामित्व (वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाईयां / भूमि) में बदलने से संबंधित नीतिगत मामले बजट और प्रशासन से संबंधित मामलों समेत दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) से संबंधित सभी मामले धरोहर संरक्षण समिति (एचसीसी) से संबंधित सभी मामले ।	
	दिल्ली प्रभाग -III	अवर सचिव (डीडी-III) कक्ष सं. 320-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23061478 n.vashista@nic.in	दिल्ली में सामान्य आवास नीति उनके डीडीए का जन आवास कार्यक्रम और कार्यान्वयन अर्थात् सहकारी आवास से संबंधित सभी मामले भवन निर्माण सोसाइटियां और सहकारी	निदेशक (दिल्ली प्रभाग) कक्ष सं. 211-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062387 Mrinal.kant@nic.in

			सामूहिक आवास सोसाइटियां और डीडीए द्वारा समय-समय पर पंजीकर्ताओं को रिहाइशी इकाईयों के आबंटन के लिए शुरू की गई विभिन्न स्कीमें डीडीए से संबंधित निर्माण संबंधी कार्यकलाप डीडीए द्वारा आबंटित प्लेटों / आवासी भू-खंडों के संबंध में नीतिगत और मामले डीडीए प्लेटों में संवर्धन / परिवर्तनों के संबंध में नीति रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 पट्टा विलेख से पूर्ण-स्वामित्व (आवास, प्लेट और आवासीय भू-खंड) में परिवर्तन से संबंधित नीतिगत मामले यमुना नदी के विकास से संबंधित मामले दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले दिल्ली में परिवहन अवस्थापना से संबंधित मामले जब तक कि उनको यूटी प्रभाग द्वारा विशिष्ट रूप से डील नहीं किया जा रहा हो ।	
	दिल्ली प्रभाग -IV	अवर सचिव (डीडी-IV) कक्ष सं. 320-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062987 raj.k@nic.in	जीएनसीटीडी, एनडीएमसी और एमसीडी से संबंधित मामले जिनको दिल्ली प्रभाग में डील किया जाना होगा, भले ही ऐसे मामले सीधे शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित न हों ।	निदेशक (दिल्ली प्रभाग) कक्ष सं. 211-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062387 Mrinal.kant@nic.in

				गृह मंत्रालय में दिल्ली डेस्क / अनुभाग के साथ समन्वय विंग रजिस्ट्री के प्रभार समेत दिल्ली प्रभाग से संबंधित समन्वय कार्य समन्वय अनुभाग को विभिन्न आवधिक विवरणियों / रिपोर्टों का संकलन और उनको प्रस्तुत करना विविध मामले जिनका किसी अन्य डेस्क को विशिष्ट रूप से आबंटित नहीं किया गया हो ।	
		दिल्ली प्रभाग -V	अवर सचिव (डीडी-V) कक्ष सं. 320-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062007 b.bahuguna@nic.in	डीडीए द्वारा संस्थाओं, केन्द्रीय / राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भूमि के आबंटन से संबंधित नीति और मामले डीडीए की पुरानी सम्पत्तियों से संबंधित मामले अर्थात् वे सम्पत्तियां जिनको डीडीए (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 (डीडीए की पुरानी स्कीम शाखा में डील किए जा रहे मामले) द्वारा कवर नहीं किया गया है । दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण के कारण वैकल्पिक भू-खंडों के आबंटन से संबंधित नीति और मामले	निदेशक (दिल्ली प्रभाग) कक्ष सं. 211-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062387 Mrinal.kant@nic.in

				डीडीए द्वारा दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में नीति भूमि रिकार्डों से संबंधित मामले भूमि पूलिंग से संबंधित नीति और मामले कृषि भूमि रिकार्डों से संबंधित नीति और मामले श्रीवास्तव समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 से संबंधित सभी मामले दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 से संबंधित सभी मामले शहरी भूमि (परिसीमन और विनियमन) अधिनियम, 1976 और शहरी भूमि (परिसीमन और विनियमन) निरस्त अधिनियम, 1999 से संबंधित सभी मामले	
		दिल्ली प्रभाग -VI	अवर सचिव (डीडी- VI) कक्ष सं. 315-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23063267 Rk.varshenya@nic.in	एनसीआर की क्षेत्रीय योजना बजट और प्रशासन से संबंधित मामलों समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) से संबंधित सभी मामले एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 से संबंधित सभी मामले और संबंधित नियम एशियाड खेल / राष्ट्रमंडल खेल सम्पत्तियाँ	निदेशक (दिल्ली प्रभाग) कक्ष सं. 211-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062387 Mrinal.kant@nic.in

				से संबंधित सभी मामले अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण (नानावती आयोग रिपोर्ट और माथुर समिति रिपोर्ट समेत) के संबंध में नीति स्लम और जेजे विभाग से संबंधित मामले (प्रशासनिक मामलों को छोड़कर) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण तथा उनको गिराने / हटाने के संबंध में मामले डीडीए द्वारा शहरी अवस्थपना का विकास डीडीए द्वारा हरित क्षेत्रों का विकास शहरी विकास कोष से संबंधित मामले शहरीकृत गांवों का विकास करों-सम्पत्ति कर इत्यादि को बांटना	
16	स्मार्ट सिटी-।	अवर सचिव- । (एससी-।)	अवर सचिव-। (एससी-।) कक्ष सं. 208-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062951 p.parkash@gov.in	स्मार्ट शहरों से संबंधित सभी नीतिगत मामले दिशानिर्देश / टूलकिट समेत मिशन विवरण से संबंधित सभी मामले वीआईपी संदर्भ / पीएमओ / मंत्रिमंडल सचिवालय संदर्भ आरटीआई और जन शिकायत मामले संसदीय समितियों इत्यादि से संबंधित मामले सी एंड ए जी समेत लेखा-परीक्षा संबंधित	निदेशक (स्मार्ट सिटी-।) कक्ष सं. 210-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23061749 mscddivision@gmail.com

				मामले स्मार्ट सिटीज प्रभाग का आन्तरिक प्रशासन बजट प्रस्ताव संसदीय प्रश्न / आश्वासन स्मार्ट सिटीज प्रभाग के साथ समन्वय आवधिक रिपोर्टें / विवरणियां	
		अवर सचिव- ॥ (एससी- ॥)	अवर सचिव-॥ (एससी-॥) कक्ष सं. 308-बी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23062908 Sanjay.ksharma72@nic.in	विदेशों के साथ गठबंधन / समन्वय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों / संगठनों / हैंड होल्डिंग एजेंसियों और परामर्शी फर्मों अर्थात् विश्व बैंक, एडीबी, यूएन हैबिटेट, ईयू, ब्रिक्स इत्यादि के साथ गठबंधन / समन्वय राष्ट्रीय एजेंसियों / संगठनों / हैंडहोल्डिंग एजेंसियों और परामर्शी फर्मों के साथ गठबंधन / समन्वय मिशन निगरानी यूनिट बनाना कार्यशालाएं / संगोष्ठियां / एक्सपोज विदेशी प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति योजना प्रस्ताव / आरएफडी	निदेशक (स्मार्ट सिटी-॥) कक्ष सं. 210-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23061749 mscdivision@gmail.com
17	स्मार्ट सिटी-॥	एससी-॥	अवर सचिव (अमृत) कक्ष सं. 318-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23061407 ई-मेल : rajendra.prataps@nic.in	अमृत मिशन से संबंधित कार्य	निदेशक (एससी-॥) कक्ष सं. 309-बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23063661 Shivpal.singh@gov.in

18.	स्मार्ट सिटी-III	एससी -III	अवर सचिव (एससी- III) कमरा नं. 102 जी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061081 ajitkumar56@nic.in	चुनौती प्रक्रिया और संबंधित मामलों का कार्यान्वयन मिशन के रॉल-आउट के दौरान स्मार्ट सिटी को क्षमता सहायता प्रदान करना, रिपोर्ट, रिटर्न और आरटीआई मामले	निदेशक (एससी- III) कमरा नं. 340 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062194 sajeesh.kr@nic.in
		एससी -III	अवर सचिव (एससी-II) कमरा नं. 202 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23063217 g.vijaykumar@nic.in	सीबीयूडी, सीसीबीपी, पीईएआरएल आदि सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों संबंधी सभी मामले । सभी अनुसंधान और अध्ययन रिपोर्टें संबंधी मामले, ई-शासन और संबंधित आरटीआई मामले । राष्ट्रीय नवीकरण योजना से संबंधित सभी मामले ।	निदेशक (एससी- III) कमरा नं. 340 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062194 sajesk.kr@nic.in
19.	विरासत शहर	विरासत शहर	अवर सचिव (एचसी) कमरा नं. 236 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062425 singhsv69@gmail.com	राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय) का कार्यान्वयन ।	निदेशक (एचसी), कमरा नं. 236 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062425 singhsv69@gmail.com
20.	स्वच्छ भारत मिशन	एसबीएम	अवर सचिव (एसबीएम) कमरा नं. 201 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062654	शहरी क्षेत्रों के लिए एसबीएम स्कीम के निम्नलिखित घटक :- 1. आईएचएचटी का निर्माण 2. सामुदायिक शौचालय 3. सार्वजनिक शौचालय	1. उप सचिव (एसबीएम) कमरा नं. 234 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062374

			virender.kushwaha@nic.in	4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 5. जन जागरूकता तथा आईईसी 6. क्षमता निर्माण और ए एंड ओ ई	saurabhjainud@gmail.com 2. उप सचिव (एसबीएम) कमरा नं. 646 ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23062482 mss2711ud@gmail.com
21.	शहरी विकास	यूडी-II	अवर सचिव (यूडी-II) कमरा नं. 302 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061137	1. विश्व बैंक सहायता प्राप्त शहरी विकास परियोजनाएं (जेएनएनयूआरएम/यूडी ऋण) - ऋण दस्तावेजों/टीए रिपोर्टों आदि की समीक्षा 2. एशियाई विकास बैंक सहायता प्राप्त शहरी विकास परियोजनाएं (राज्य सरकारों से संबंधित) - ऋण दस्तावेजों/टीए रिपोर्टों आदि की समीक्षा 3. दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पहुंच 4. कर मुक्त नगरपालिका बांड 5. एकत्रित वित्त विकास स्कीम 6. नगर व ग्राम योजना (टीसीपीओ) से संबंधित स्थापना 7. शहरी क्षेत्र से संबंधित एफडीआई मामले 8. आपदा प्रबंधन संबंधी मामले 9. मंत्रालय की कार्यनीति योजना	निदेशक (यूडी) कमरा नं. 212 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061072 Dirud-mud@nic.in

				10. मंत्रालय का परिणाम - फ्रेमवर्क दस्तावेज 11. चंडीगढ़ और उसके पास के क्षेत्र के विकास से संबंधित समन्वय समिति 12. शहरीकरण पर एनडीसी की उप-समिति	
		यूडी-III	अवर सचिव (यूडी-III) कमरा नं. 310 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061137 naresh.kumar70@nic.in	1. सात मेगा शहरों के इर्द-गिर्द उपनगरीय कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास 2. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान 3. शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग 4. नयी राजधानी क्षेत्र के सृजन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को एक बारगी वित्तीय सहायता 5. संसद प्रश्न; आरटीआई मामले, न्यायलयी मामले और उपरोक्त विषयों संबंधी बजट ।	निदेशक (यूडी) कमरा नं. 212 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061072 Dirud-mud@nic.in
		एनईआरयूडी पी	अवर सचिव (यूडी-II) कमरा नं. 302 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061137	पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरडीपी) स्कीम । यह स्कीम एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है ।	निदेशक (यूडी) कमरा नं. 212 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061072 Dirud-mud@nic.in
		अंतरराष्ट्रीय सहयोग	अवर सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) कमरा नं. 302 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061137	1. शहरी विकास पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्यकारी गुप 2. समझौता ज्ञापन/करार/उद्देश्य का संयुक्त वक्तव्यों सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सभी मामले	निदेशक (यूडी) कमरा नं. 212 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061072

					Dirud-mud@nic.in
22.	स्थानीय स्वशासन	एलएसजी	अवर सचिव (एलएसजी) कमरा नं. 201 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061072 uslsg-@gov.in	1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित नीतिगत मामले । 2. शहरी शासन, एमपीसी, डीपीसी से संबंधित मामले । 3. केन्द्र और राज्य वित्त आयोग संबंधी मामले । 4. यूडीपीएफआई दिशा निर्देश, 1996 का संशोधन । 5. राज्य नगरपालिका अधिनियम और गृह मंत्रालय से प्राप्त अन्य ऐसे मामले । 6. केन्द्र राज्य संबंध । 7. भूमि अधिग्रहण अधिनियम का समन्वय । 8. विदेशी शहरों के साथ भारतीय शहरों का यमलन । 9. कौशल विकास मुद्दों का समन्वय । 10. स्थानीय स्तर के विकास के लिए बुनियादी साख्यिकी । 11. केन्द्र सरकार संपत्तियों का सेवा प्रभार - नीतिगत मुद्दे । 12. नगरपालिका लेखांकन मानक - आईसीएआई। 13. प्रशासनिक सुधार आयोग संबंधी मामले । 14. संपत्ति और स्वामित्व संबंधी मामले । 15. 112वां संविधान संशोधन बिल (महिला के	निदेशक (यूडी) कमरा नं. 212 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 फोन नं. 011-23061072 Dirud-mud@nic.in

				बिल के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण) 16. अनुसूचित क्षेत्रों (एमईएसए) बिल 2001 का नगरपालिका तक विस्तार 17. विभिन्न शहरी मामलों इत्यादि से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट नोट की जांच करना। 18. नगरपालिकाओं के चयनित पदाधिकारियों का डाटाबेस 19. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयू) से संबंधित मामले 20. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) 21. उत्कृष्टता केन्द्र (अनुसंधान प्रस्ताव) 22. राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम एवं संबंधित मामले 23. क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र (आरसीयूईएस), लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, सीयूएस, आईआईपीए, दिल्ली से संबंधित मामले 24. सीएलजीएफ (राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी मंच) 25. राज्य निर्वाचन आयोग मामले 26. बजट से संबंधित मामले 27. विभिन्न अधिकारियों/स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विदेशी दौरे की स्वीकृति 28. सीबीयूएलबी स्कीम से संबंधित मामले	
--	--	--	--	--	--

23	आर्थिक प्रभाग	पीपीपी प्रकोष्ठ	सहायक निदेशक (आर्थिक प्रभाग) कमरा सं0 312-बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 011-23062893 Manoj.km@nic.in *(there is no post of DD)	1. शहरी जल आपूर्ति सेक्टर में पीपीपी के लिए मॉडल रियायत करार 2. शहरी अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन। 3. शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित स्कीमों की निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रसार 4. अनुसंधान अध्ययन-आंकलन निगरानी एवं मूल्यांकन 5. शहरी डाटाबेस का प्रबंधन-शहरी सांख्यिकी का हैंडबुक 6. आर्थिक सर्वेक्षण एवं अन्य प्रकाशनों का अद्यतनीकरण एवं टिप्पणियां 7. अन्य मंत्रालयों से प्राप्त कैबिनेट नोटस/सीओएस नोटस इत्यादि की जांच एवं इस पर शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणियां तैयार करना। 8. सेक्टर से संबंधित केन्द्रीय बजट के लिए कर प्रस्ताव तैयार करना।	संयुक्त निदेशक (आर्थिक प्रभाग) कमरा सं. 110-बी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 011-23061379 Kumar.ashwini@nic.in
----	------------------	--------------------	--	--	--

आरटीआई मामला

सं.ए-006/2014-पीआईसी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

पीआई प्रकोष्ठ

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों और इस मंत्रालय के दिनांक 9 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ओ-16015/1/2007-प्रशा.(आरटीआई) के अनुक्रम में शहरी विकास मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को संबंधित कार्यालय से जुड़े कार्य के संबंध में एतद्वारा नीचे दर्शाए गए अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है:

क्र.सं.	कार्यालय	नियुक्त सीपीआईओ	नियुक्त किया गया अपीलीय प्राधिकारी
1.	शहरी विकास मंत्रालय के लिए केन्द्रीय मंत्री	मंत्री जी के अपर निजी सचिव**	मंत्री जी के निजी सचिव
2.	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सचिव के निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव	सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान स्टाफ अधिकारी
3.	प्रशासनिक प्रभाग	अवर सचिव(प्रशा.) और अवर सचिव(सामान्य प्रशासन एवं रोकड़) के स्थान पर उप सचिव	संयुक्त सचिव(प्रशासन) (कोई बदलाव नहीं)

** एक से अधिक अपर निजी सचिव के मामले में, सीपीआईओ के रूप में व्यक्ति का नामांकन शहरी विकास मंत्रालय के निजी सचिव द्वारा किया जाएगा ।

हस्ता./-

(आर.प्रेम आनंद)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव ।

2. सचिव(यूडी) के प्रधान स्टाफ अधिकारी ।
3. अपर सचिव(यूडी) के प्रधान निजी सचिव ।
4. शहरी विकास मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव/ओएसडी(यूटी) के वैयक्तिक सहायक ।
5. इस मंत्रालय में सभी निदेशक/उप सचिव/अपर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी ।
6. संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों के अध्यक्ष
7. कार्यालय आदेश फाईल ।
8. सूचना पट्ट ।
9. आरटीआई के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाईट के लिए एनआईसी प्रकोष्ठ ।